



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022022-233294
CG-DL-E-10022022-233294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2022/माघ 21, 1943

No. 554]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2022/MAGHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2022

का.आ. 573(अ).—का.आ.सं.357(अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग- II, खंड-3, उप-खंड(ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2022 फा.सं.300196/1/2022-आईटीए-1 दिनांक 27.01.2022 में- अधिसूचना संख्या 11/2022 को अधिसूचना संख्या 12/2022 पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 13 /2022/फा. सं. 3000196/1/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव